भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4906
दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

मातृ मृत्यु दर

4906. श्री राजन बाबुराव विचारे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक देश में उच्च मृत्यु दर के कारणों के साथ सूचित शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के लिए बजट आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या बाल कुपोषण बढ़ रहा है, लेकिन आईसीडीएस योजना के लिए धन की कमी बनी हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : भारत के रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल पंजीकरण प्रणाली(एसआरएस) द्वारा नवजात शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर के बारे में डेटा की सूचना दी गई है। भारत के महारजिस्ट्रार के सैंपल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार :

- राष्ट्रीय स्तर पर नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2018 में **32** प्रति **1000** जीवित जन्म से घटकर **2020** में **28** प्रति **1000** जीवित जन्म हो गयी है और
- राष्ट्रीय स्तर पर **5** वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर **2018** में **36** प्रति **1000** जीवित जन्म से घटकर **2020** में **32** प्रति **1000** जीवित जन्म हो गई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर **2017-19** में **103** प्रति **100,000** जीवित जन्म से घटकर **2018-20** में **97** प्रति **100,000** जीवित जन्म हो गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत के महापंजीयक की एसआरएस रिपोर्ट **(2015-17)** के अनुसार, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर (**0-4** वर्ष) के प्रमुख कारण – समय पूर्वता और जन्म के समय कम वजन (**31.2%**), निमोनिया(**17.5%**),

अन्य गैर-संचारी रोग (9.6%), जन्म श्वासावरोध और जन्म आघात(9.9%), अतिसार रोग (5.8%), चोटें (4.9%), जन्मजात विसंगतियाँ(5.7%) फीवर ऑफ़ अननोन ओरिजिन(4.1%), एक्यूट बैक्टीरियल सेप्सिस और गंभीर संक्रमण(3.8%), अपरिभाषित या अज्ञात कारण (4.3%), और अन्य शेष सभी कारण (3.3%) हैं।

भारत के महापंजीयक की एसआरएस रिपोर्ट (2015-17) के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण - समयपूर्वता और जन्म के समय कम वजन (36.1%), निमोनिया (17.4%), जन्म श्वासावरोध और जन्म आघात (11.5%), अन्य गैर-संचारी रोग (8.9%), जन्मजात विसंगतियाँ (5.7%), अतिसार रोग (4.5%), एक्यूट बैक्टीरियल सेप्सिस और गंभीर संक्रमण (4.3%), फीवर ऑफ़ अननोन ओरिजिन (3.0%), चोटें (2.2%), अपरिभाषित या अज्ञात कारण (4.4%), और मृत्यु के अन्य सभी कारण (2.1%) हैं।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल की एसआरएस रिपोर्ट (2017-19) के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारण गर्भावस्था और बच्चे के जन्म या गर्भपात के दौरान जटिलताएं हैं।

(ख) से (ग) : यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 का संशोधित बजटीय आवंटन 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के लिए 19,999.55 करोड़ रुपये था। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट आवंटन 17902.31 करोड़ से लगभग 11.7% अधिक है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए 20,263.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत वार्षिक बजटीय आवंटन का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम संख्या	वित वर्ष	बजट अनुमान	संसोधित अनुमान	वय्य
1.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99
2.	2020-21	20,532.38	17,902.31*	15784.39
3.	2021-22**	20,105.00	19999.55	18208.85
4.	2022-23	20,263.07	20,263.07	17832.83 (28.03.2023)

*,** **एसएजी और पोषण शामिल हैं**

एनएफएचएस-5(2019-21) के अनुसार, एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है, जबकि दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और कम वजन का प्रसार 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है।

सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और कुपोषण और कुपोषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कई स्कीमों को लागू कर रही है। आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, पूरक पोषण कार्यक्रम, किशोरीयों के लिए संशोधित स्कीम और पोषण अभियान के तहत प्रयासों का कायाकल्प किया गया है और 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के रूप में अभिसरित किया गया है।

*****